राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 23.02.2015

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः– ई–मित्र कियोस्कों पर किये जा रहे भामाशाह नामांकनों के सत्यापन हेतु।
सन्दर्भः– परिपत्र–8 दिनांक 23.12.14 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 27.12.14

महोदय,

जैसा कि सन्दर्भित परिपत्र व पत्र द्वारा ई–मित्र कियोस्कों पर किये जा रहे भामाशाह नामांकनों के सत्यापन के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए थे कि परिवार के सभी सदस्यों के नामांकन उपरान्त डाटा का सत्यापन संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी/ग्राम सेवक के सहयोग से 10 दिवस में किया जाएगा। ई–मित्र कियोस्क हेतु नियुक्त सत्यापक (पटवारी/ ग्राम सेवक/ शहरी वार्ड निरीक्षक/ अन्य कार्मिक) से भामाशाह नामांकनों के सत्यापन की प्रक्रिया के क्रम में निम्नांकित अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये जाते है–

1. सत्यापक द्वारा भामाशाह नामांकन के साथ उपलब्ध दस्तावेजों के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक सर्वे, बी.पी.एल सूची, नरेगा सूची, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि के रिकॉर्ड के आधार पर नामांकन का सत्यापन किया जाएगा।
2. सत्यापक द्वारा ई–मित्र कियोस्क पर भामाशाह नामांकन का ऑनलाईन डिजीटल हस्ताक्षर/बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाएगा अथवा भामाशाह नामांकन की पावती के प्रिन्ट पर, अपने नाम व पदनाम की मोहर सहित हस्ताक्षर कर सत्यापन किया जाएगा।
3. ई–मित्र कियोस्क द्वारा नामांकित परिवार/सदस्य द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों तथा बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित पावती का प्रिन्ट (सत्यापक से सत्यापन उपरान्त) स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्र के नामांकन के सत्यापन की भामाशाह पोर्टल पर ऑनलाईन पुष्टि की जाएगी।

4. संबंधित तहसीलदार क्षेत्र के ई-मित्र कियोस्कों पर किये गये भामाशाह नामांकन का 10 दिवस की अवधि में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे, इसकी मोनिटरिंग हेतु नवीनतम प्रगति को ई-मित्र कियोस्कवार भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध करवाया गया है।
5. ई-मित्र कियोस्क पर भामाशाह नामांकन के ऑनलाइन सत्यापन व सत्यापन की पुष्टि की प्रकिया पर विस्तृत मार्गदर्शिका संलग्न है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 23.02.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः

1. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर्स.....................................
2. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.................................
3. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला....................
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी...
5. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति.........................
6. समस्त तहसीलदार...।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग